संचिका स0–7/बजट–46–03/2026 – 186(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 08/06/2026

विषयः– पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग क्षेत्र के मास्टर प्लान के तहत Multi Speciality Hospital के निर्माण हेतु चिन्हित् भूखंड के चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल राशि रू० 75,16,332/–(रूपये पचहत्तर लाख सोलह हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग क्षेत्र के मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित Multi Speciality Hospital के निर्माण हेतु चिन्हित् भूखड के चहारदीवारी का निर्माण किया जाना है।

2– तद्क्रम मे प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना के पत्राक–14108, दिनाक–30 03 2026 द्वारा पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग क्षेत्र के मास्टर प्लान के तहत Multi Speciality Hospital के निर्माण हेतु चिन्हित् भूखड के चहारदीवारी के निर्माण हेतु रू० 75,16,332/–(रूपये पचहत्तर लाख सोलह हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र की राशि का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग क्षेत्र के मास्टर प्लान के तहत Multi Speciality Hospital के निर्माण हेतु चिन्हित् भूखड के चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल राशि रू० 75,16,332/–(रूपये पचहत्तर लाख सोलह हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान मे रखा जायगा –

(i) चहारदीवारी निर्माण कार्य स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि परिसर मे अवस्थित उपलब्ध आवश्यक भूमि पर ही कराया जाएगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी सतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि सबधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व मे नहीं कराया गया हो।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। चहारदीवारी निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। उक्त कार्य सबधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी सबधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

(vi) निगम के सबधित कार्यपालक अभियता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नही हो जाय। तद्क्रम मे निगम द्वारा भी उक्त कार्य सबधी छ मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक चहारदीवारी निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(vii) योजना के कार्यान्वयन मे विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पडी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना के सबधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेगे।

5– इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0104–शहरी क्षेत्र मे राजकीय औषधालय का निर्माण, विपत्र कोड–20–4210010510104 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–01–मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मद मे उपबधित राशि से किया जाएगा।

6– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007, विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID--------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे ।

9– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08 04.08, 3758/वि0, दिनांक–31 05 2017 एवं 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10– विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनाक–06 05 2026 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–152(7A), दिनाक–07 05 2026 के क्रम सख्या–01 में प्रस्ताव अनुशसित है।

11– उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति स्कीम स्क्रीनिंग समिति की दिनाक–15 05.2026 को आहुत बैठक की कार्यवाही ज्ञापाक–445/लो०वि०/यो०वि०, पटना, दिनाक–19 05 2026 द्वारा अनुशंसित है।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रारूप में आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–7/बजट–46–03/2026 के पृष्ठ 09../टि० पर प्राप्त है।

14– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–7 / बजट–46–03 / 2026 - 186 (7A) स्वा0, पटना, दिनांक– 08 / 06 / 2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना / जिलाधिकारी, पटना / सयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल, पटना / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।